


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांक:- प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 3913

दिनांक: 14/02/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 (1) के अन्तर्गत नगर विकास प्रन्यास उदयपुर पैरा फ़ैरी क्षेत्र में नगर निगम उदयपुर विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के तहत वाटिकाओ को अनुज्ञा देने हेतु नगर निगम उदयपुर को अधिकृत करती है।


(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ 3914-3921

दिनांक: 14/02/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय उदयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
4. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजजयपुर को उक्त आदेश को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं 5 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. प्रभारी, मॉनिटरिंग सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी